भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 208

उत्तर देने की तारीख-03.08.2026

अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा

*208. **श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की शर्त के कारण वर्ष 2013 से पूर्व नियुक्त अनुभवी शिक्षकों के लिए नौकरी का संकट उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 23(3) के अंतर्गत इन अनुभवी शिक्षकों को स्थायी छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवानिवृत्ति के कगार पर आ चुके शिक्षकों के लिए मानवीय आधार पर उक्त परीक्षा की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार किसी औपचारिक पात्रता परीक्षा की तुलना में दशकों के शिक्षण अनुभव के महत्व को स्वीकार करती है; और

(ङ) अनुभवी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 में प्रस्तावित संशोधन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा दिनांक **03/08/2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 208 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है। वर्ष 2013 से पहले नियुक्त उन शिक्षकों, जो अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, के संबंध में सूचना संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखी जाती है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 01.09.2025 के अपने निर्णय के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वीकार किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत शामिल किए गए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को निम्नलिखित लिंक:https://api.sci.gov.in/supremecourt/2018/36466/36466_2018_9_1501_63764_Judgement_01-Sep-2025.pdf पर देखा जा सकता है।

तदनंतर, इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं का निपटान करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.05.2026 के निर्णय के माध्यम से टीईटी योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.08.2027 से बढ़ाकर 31.08.2028 कर दी। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.05.2026 के निर्णय को निम्नलिखित लिंक: https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53434/53434_2025_7_1501_71637_Judgement_29-May-2026.pdf पर देखा जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.05.2026 के निर्णय में आगे टिप्पणी की है कि संबंधित उपयुक्त सरकारों/प्राधिकरणों को समय-समय पर, अधिमानतः प्रतिवर्ष दो बार, लगातार परीक्षाओं के बीच लगभग छह महीने के अंतराल पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि पात्र शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता का पालन करने का उचित अवसर मिल सके।
